सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का बुधवार देर रात को निधन हो गया। गुरुवार को उनकी पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सलूम्बर पहुँचकर अमृतलाल मीणा की पार्थिव देह को पुष्पांजलि अर्पित की।

सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का निधन

राजकीय सम्मान से अंतिम विदाई, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पुष्पांजलि अर्पित की

- बुधवार रात अचानक तबियत बिगड़ने पर अमृतलाल मीणा को उदयपुर के एम.बी. अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, वहां उनका निधन हो गया।
- अमृतलाल मीणा की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ होगी।
- सलूम्बर से लगातार तीन बार विधायक रहे अमृतलाल मीणा 20 साल से राजनीति में थे और क्षेत्र में भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते थे।

उदयपुर, 8 अगस्त (कासं)। सलूम्बर से लगातार तीन बार भाजपा के विधायक रहे अमृतलाल मीणा (65) का बुधवार देर रात उदयपुर के एम.बी. अस्पताल में निधन हो गया। जानकारी अनुसार बुधवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर विधायक अमृतलाल मीणा को उदयपुर के एम.बी. अस्पताल लाया गया और रात करीब दो बजे उनका निधन हो गया। उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ होगी। गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे उनकी पार्थिव देह उदयपुर से उनके पैतृक गांव लालपुरिया (सलूम्बर) लाई गई। यहां पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। इससे पहले दोपहर करीब डेढ़ बजे उनकी पार्थिव देह को सलूम्बर के डाक बंगला में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि दी। वे विधानसभा में भी जनता की बात मजूबती से उठाते रहे और सलूम्बर क्षेत्र में विधायक रहते हुए उन्होंने कई बड़े विकास कार्य भी करवाए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा के आकस्मिक निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। शर्मा ने गुरुवार को सलूम्बर के लालपुरिया (सेमारी) पहुंचकर मीणा की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया एवं शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि अमृतलाल के आकस्मिक निधन का समाचार स्तब्ध कर देने वाला है। उनका निधन प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि मीणा वर्ष 2013 से बतौर विधायक लगातार तीन बार से सलूम्बर की जनता की सेवा में जुटे हुए थे। समाजसेवा और जनता के हित में वे हमेशा तत्पर रहते थे। शर्मा ने कहा कि स्व. अमृतलाल ने अपने जीवन में समाज के वंचित वर्गों के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया और क्षेत्र के विकास में अद्वितीय योगदान दिया। उनको एक जनप्रिय नेता के रूप में सदैव याद किया जाता रहेगा। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा, सहकारिता राज्यमंत्री गौतम दक, राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, गोगुन्दा विधायक प्रताप गमेती, श्रीचंद कृपलानी, समाजसेवी दिनेश भट्ट सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रामीणजन आदि उपस्थित रहे। मीणा के निधन के समाचार के पश्चात मुख्यमंत्री शर्मा ने गुरुवार को प्रस्तावित सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया था।

जानकारी के अनुसार इस बार के बजट सत्र में भी उन्होंने विधानसभा में 98 लिखित सवाल लगाए उनमें से 10 सवालों का जवाब आ चुका है और 88 सवाल का जवाब आना बाकी था। जनहित के इन सभी सवालों का जवाब आता उससे पहले ही अमृतलाल मीणा जनता के बीच से विदा हो गए।

एमबी अस्पताल अधीक्षक आरएल सुमन के अनुसार विधायक अमृतलाल मीणा को बुधवार रात करीब सवा एक बजे एमबी अस्पताल लाया गया। उस समय विधायक मीणा की सांसे नहीं चल रही थी, धडकनें बंद हो चुकी थीं। इमरजेंसी में ही काफी प्रयास किया गया। डॉक्टर्स की टीम ने करीब पौन घंटा काफी प्रयास किया। रात करीब दो बजे विधायक मीणा का निधन हो गया। सलूम्बर जिले के लालपुरिया गांव में साल 1959 में जन्मे अमृतलाल मीणा करीब 20 साल राजनीति में सक्रिय रहे। अमृतलाल ने साल 2004 में पंचायत समिति सराडा के सदस्य के तौर पर राजनीति की शुरुआत की थी।

ई.डी. ने जल जीवन मिशन घोटाले में चार्जशीट पेश की

- ई.डी. ने चार्जशीट में चारों आरोपियों, पदम चन्द जैन, संजय बडाया, महेश मित्तल व मुकेश पाठक के खिलाफ अवैध तरीके से अपनी फर्मों में 500 करोड़ रूपए जमा करने का आरोप लगाया है।
- ई.डी. का आरोप है कि आरोपियों ने बिल पास कराने और टैंडर हासिल करने और लोक सेवकों से संरक्षण प्राप्त करने के लिए पी.एच.ई.डी. में भारी रिश्वत दी थी।

जयपुर, 8 अगस्त (का.सं.)। एन्फोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ई.डी.) मामलों की विशेष अदालत में गुरुवार को ई.डी. ने जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर दर्ज मनी लॉण्डरिंग के मामले में चार आरोपियों पदम चंद जैन, महेश मित्तल, संजय बडाया और मुकेश पाठक के खिलाफ चार्जशीट पेश की है।

चार्जशीट में धन शोधन निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले 24 अप्रैल को ई.डी. ने ठेकेदार पदम चंद जैन के बेटे पीयूष जैन के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। चार्जशीट में कहा गया कि ई.डी. ने ए.सी.बी. दर्ज एफ.आई.आर. के बाद प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी। जिसमें पाया गया कि पदम चंद जैन, महेश मित्तल और पीयूष जैन टेंडर हासिल करने, बिल मंजूर करवाने और लोक सेवकों से अवैध संरक्षण प्राप्त करने के लिए पी.एच.ई.डी. में रिश्वत देने में शामिल थे। आरोपी हरियाणा से चोरी का माल खरीदने में भी शामिल थे और टेंडर हासिल करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे थे। आरोपपत्र में कहा गया है कि पदम चंद जैन और महेश मित्तल सहित आरोपियों से संबंधित फर्मों के बैंक खातों में लगभग 500 करोड़ रुपये जमा हुए थे। उन्हें जो भी पैसा मिला वह पी.एम.एल.ए. अधिनियम के तहत अपराध की आय है। आरोप पत्र में कहा गया कि आरोपी मुकेश पाठक इरकॉन में स्टेनोग्राफर था और उसने मेसर्स गणपति ट्यूबवेल और मेसर्स श्याम ट्यूबवेल के लिए फर्जी और मनगढ़ंत प्रमाण पत्र बनाए थे। यह दोनों फर्म महेश मित्तल और पदम जैन की हैं। आरोपी संजय बडाया निजी ठेकेदारों से टेंडर राशि का 2.5 से 3 प्रतिशत तक वसूल कर रहा था। यह राशि टेंडर लेने वाली फर्म को सुविधाएं देने के बदली ली गई थी। उसने आरोपी ठेकेदारों महेश मित्तल और पदम चंद जैन से लगभग 5 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी।

जिला न्यायालयों के जज सिर्फ 15 हजार मासिक पैंशन में गुजारा कैसे करें?

नयी दिल्ली, 8 अगस्त (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों को दी जा रही अल्प पेंशन के मुद्दों पर विचार करे।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 'ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन' द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे मामले से संबंधित न्यायमित्र के साथ विचार-विमर्श कर इस मुद्दे का हल निकालें।

पीठ ने शीर्ष विधि अधिकारियों अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर से कहा, हम जिला न्यायपालिका के संरक्षक होने के नाते आपसे ऐसा करने (हल) का आग्रह करते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि पेंशन संबंधी शिकायतों को लेकर जिला न्यायाधीशों द्वारा न्यायालय के समक्ष कई याचिकाएं दायर की जा रही हैं। अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी और सॉलिस्टर जनरल मेहता ने केंद्र का पक्ष रखते हुए पीठ से जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन संबंधी पहलुओं से संबंधित मामले पर बहस करने के लिए कुछ समय देने की गुहार लगाई। पीठ ने कहा कि जिला न्यायाधीशों को पेंशन के रूप में केवल 15,000 रुपये मिल रहे हैं। पीठ ने आगे कहा, जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालयों में आते हैं। आम तौर पर उन्हें 56 और 57 वर्ष की आयु में उच्च न्यायालयों में पदोन्नत किया जाता है।

पैरिस ओलंपिक में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुये जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मैडल जीत लिया है। नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर का थ्रो फेंककर प्रतियोगिता में दूसरे पायदान पर रहे और भारत के लिए सिल्वर मैडल पक्का किया। नीरज चोपड़ा ने दूसरे प्रयास में अपना सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन दिखाते हुये 89.45 मीटर दूर भाला फेंका। नीरज ने क्वालिफिकेशन राउण्ड में 89.34 मीटर दूर भाला फेंका था। नीरज इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं जिनके नाम ओलंपिक में दो मैडल दर्ज हो गये हैं।

ई.डी. का अधिकारी 20 लाख रु. रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ

नई दिल्ली, 8 अगस्त। सी.बी.आई. ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में एनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ई.डी.) के एक सहायक निदेशक को 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए ईडी अधिकारी की पहचान संदीप सिंह यादव के रूप में हुई है। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि ईडी अधिकारी को दिल्ली के लाजपत नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया है।

सी.बी.आई. के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने तीन और चार अगस्त को जौहरी के परिसरों पर छापेमारी की थी जिसके बाद सहायक निदेशक संदीप सिंह यादव ने उन्हें 25 लाख रुपये न देने पर जौहरी के बेटे को गिरफ्तार करने की कथित तौर पर धमकी दी थी। अधिकारियों ने बताया कि बातचीत के दौरान 20 लाख रुपये की रिश्वत देने पर बात तय हुई। उन्होंने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अधिकारी यादव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। सीबीआई को शिकायत मिली और उसी के आधार पर कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया गया।

हैदराबाद में नॉन वैज की....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की आबादी का बड़ा तबका नॉन वैज भोजन खाता है। समस्या स्विगी जैसी फूड डिलीवरी ऐप के साथ है जिसके डिलीवरी एग्ज़ीक्युटिव ग्राहकों के नॉन वैज ऑर्डर पहुंचाने से इन्कार कर रहे हैं।

अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ीं तो यह बड़ी समस्या बन सकता है खासकर अपने लंच ऑर्डर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक कस्टमर ने बताया कि कुछ अन्य लोकल कूरियर के डिलीवरी एग्ज़ीक्युटिव और डिलीवरी एप्स भी नॉन वैज फूड के पैकेट ले जाने से इन्कार कर रहे हैं।

एक मध्यम वर्गीय महिला ने बताया कि वह शहर में काम करने वाले अपने बेटे को लंच भेज रही थी और स्विगी के डिलीवरी एग्ज़ीक्युटिव ने मना कर दिया कि वह लंच बॉक्स नहीं ले जाएगा क्योंकि इसमें चिकन करी है। यहीं नहीं डिलीवरी पार्टनर ने पहले महिला से पूछा टिफिन में क्या है फिर उसने इन्कार कर दिया। पर उसने इतनी मदद अवश्य डिलीवरी की रिक्वैस्ट किसी अन्य को दे दी जिसे नॉन वैज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी।

सिकंदराबाद की एक अन्य महिला को भी ऐसा ही अनुभव हुआ जब एक स्विगी जिनी पार्टनर ने उसका फूड पैकेट ले जाने से मना कर दिया क्योंकि उसमें बिरयानी थी।

हैदराबाद में भी कुछ लोगों ने ऐसी शिकायते की हैं। आमतौर पर कूरियर करने वाले यह नहीं पूछते हैं कि पैकेट में क्या है पर अब वर्कर्स यूनियन ने भी अपने सदस्यों को प्रोत्साहित कर रही है कि वे कस्टमर से पूछे कि पैकेट में क्या है ताकि उन्हें ऐसी कोई चीज न ले जानी पड़े जो वे नहीं चाहते हैं।

तेलंगाना गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन अपने सदस्यों को कह रही है कि पार्सल स्वीकार करने से पहले उसमें क्या है यह जानना जरुरी है।

ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी ने कहा कि यह जागरुकता जरुरी है ताकि ये लोग "ड्रग ट्रांसपोर्ट" में ना फंसे। पर ऐसे महीनों में जब हिंदू त्यौहार ज्यादा पड़ते हैं तब ये लोग नॉन वैज भोजन के पैकेट लेने से भी इन्कार कर रहे हैं।

एक डिलीवरी एग्ज़ीक्युटिव ने कहा कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं अधिकांश को नॉन वैज से कोई फर्क नहीं पड़ता हैं पर कुछ के साथ निजी समस्याएं हैं और वे इन्कार कर देते हैं।

सरकार अचानक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

देना तथा वक़्फ़ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना। वक़्फ़ बोर्ड में महिलाओं को लाने का भी प्रावधान किया जा रहा है।

प्रश्न यह है कि क्या सरकार वक़्फ़ की जमीन पर कब्जा करना चाहती है, तथा इसके साथ ही, क्या यह कुछ महत्वपूर्ण लोगों की मदद करने का प्रयास है।

मुकेश अंबानी का "एन्टीलिया" वक़्फ़ की जमीन पर ही है, तथा इसी प्रकार, क्या यह अंबानी, जो नरेन्द्र मोदी के अच्छे मित्र हैं, की मदद करने की कोशिश है।

राहुल गांधी ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिखा कि साथी सांसदों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

हालांकि, राहुल गांधी ने मीटिंग का ब्यौरा नहीं दिया पर उन्होंने कहा कि आज लोकसभा में कांग्रेस सांसदों की मीटिंग हुई, जिसमें राहुल गांधी मौजूद थे तथा कई मसलों पर चर्चा हुई।

गोगोई ने पत्रकारों को बताया कि बांग्लादेश, चीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले व संसद में आज की कार्यवाही पर चर्चा हुई।

उन्होंने कहा कि राहुल ने सांसदों से जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की अपील की।

कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोकसभा सदस्यों की मीटिंग हुई। गांधी की पार्टी नेताओं के साथ बैठक से कुछ दिन पहले कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी सांसदों के साथ बैठक की थी।

चंद्रबाबू नायडू के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सम्बन्धित संशोधन लाने की क्षमता नहीं है। कांग्रेस नेता के.सी.वेणुगोपाल ने इस विधेयक को "संविधान पर आधारभूत हमला बताया, क्योंकि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक मामलों के प्रबन्धन की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है। राज्य वक़्फ़ बोर्डों तथा केन्द्रीय वक़्फ़ परिषद की संचालन समिति के सदस्यों के रूप में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के प्रस्तावित संशोधन पर प्रतिक्रिया देते हुये, वेणुगोपाल ने पूछा: "जब राम मंदिर के निर्माण के लिये कमेटी गठित हुई थी, क्या उस समय गैर-हिन्दुओं को इसका सदस्य बनाया गया था?" उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक हरियाणा एवं महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुये लाया गया है। सुदीप बंदोपाध्याय (टी.एम.सी.) ने कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो आदेशित करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता के अधिकार से इनकार नहीं कर सकता। द्रमुक सांसद कनिमोई ने कहा कि इस विधेयक के निशाने पर अल्पसंख्यक हैं तथा यह उस स्वप्न को नष्ट कर देगा, जो हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिये देखा था। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा इस विधेयक को अपने कट्टरपंथी समर्थकों को खुश करने के लिये लाई है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में पार्टी को धक्का लग चुका है।

किन्तु, अल्पसंख्यक मामलात के मन्त्री अपनी इस बात पर जमे रहे कि यह विधेयक सामान्य मुस्लिमों को न्याय देने के लिये लाया गया है क्योंकि सरकार को वक़्फ़ सम्पत्तियों के दुरुपयोग के बारे में अनेकानेक शिकायतें मिली हैं।

'विपक्ष के कई नेता, जो अब...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कई सांसदों ने मुझे निजी तौर पर बताया था कि वक़्फ़ बोर्ड माफ़ियाओं के कब्जे में हैं, लेकिन अब वे ही विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

रिजिजू ने दावा किया कि वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक गहन विचार-विमर्श के बाद लाया गया है।

विपक्षी सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताओं का जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि वक़्फ़ विधेयक के अन्तर्गत किसी भी धार्मिक निकाय की स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून के मसौदे में संविधान के प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है।

संशोधित विधेयक में सैन्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड काउन्सिल और राज्य वक़्फ़ बोर्डों के विस्तृत संयोजन का प्रस्ताव है तथा इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रकार के निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व भी हो। वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम वर्ष 2013 में प्रावधान था कि उपधारा (1) से (8) के अन्तर्गत नियुक्त होने वाले कम से कम दो सदस्य महिला होनी चाहिए।"

नए विधेयक में भी महिलाओं को सदस्य के रूप में अहमियत दी गई है, लेकिन आगे यह भी जोड़ा गया है कि "वक्फ हलाल औलाद" के निर्माण से तात्पर्य महिलाओं को विरासत के अधिकार से इनकार करना नहीं है।"

विधेयक में बोहरा और आगाखानियों के लिए 1 अलग बोर्ड के गठन का प्रावधान है।

विधेयक के मसौदे में शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी तथा मुस्लिम समुदाय के अन्य पिछड़ा वर्गों को प्रतिनिधित्व देना प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह परिभाषित करना है कि "वक़्फ़ का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो कम से कम पांच साल से इस्लाम का अनुयायी है तथा इस प्रकार की सम्पत्ति का स्वामित्व उसके पास है।

विधेयक का एक उद्देश्य एक सैन्ट्रल पोर्टल तथा डेटाबेस के माध्यम से वक़्फ़ का रजिस्ट्रेशन करना है। किसी प्रॉपर्टी को वक़्फ़ प्रॉपर्टी के रूप में रिकॉर्ड करने की पूर्व सभी संबंधित पक्षों को नामान्तरण के लिए राजस्व कानूनों के अनुसार उचित नोटिस देने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

वर्ष 1995 का वक़्फ़ अधिनियम किसी "वाकिफ" द्वारा दी गई "ऑकफ़"(दान की गई एवं वक़्फ़ के रूप में अधिसूचित की गई सम्पत्ति) के नियमतिकरण को लेकर लाया गया था। वाकिफ़ उस व्यक्ति को कहते हैं जो मुस्लिम कानून के अन्तर्गत धार्मिक अथवा दान योग्य के रूप में प्राधिकृत किसी सम्पत्ति को समर्पित करता है।)

अधिनियम में अंतिम बार वर्ष 2013 में संशोधन किया गया था।

पैकेज्ड़ फूड पर वॉर्निंग लेबल्स नहीं होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा

याचिका में सभी तरह के पैकेज्ड़ फूड के फ्रंट पर शुगर और फैट की जानकारी लिखे जाने की मांग की गई है

- याचिका में कहा गया है कि जून 2023 तक, भारत में लगभग 10.1 करोड़ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित थे, जबकि 13.6 करोड़ प्रीडायबिटीज़ से पीड़ित हैं। देश में 31.5 करोड़ लोग हाई ब्ल्ड प्रेशर से और 25.4 करोड़ लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। पैकेज्ड़ फूड इस तरह की बीमारियों को खुलेआम बढ़ावा दे रहे हैं।

नई दिल्ली, 8 अगस्त। देश में बढ़ते मधुमेह (डायबिटीज) की बीमारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है और शीर्ष न्यायालय से डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर फ्रंट-ऑफ-पैकेज वार्निंग लेबल्स को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। यानी सभी तरह के पैकेज्ड फूड के ऊपर शुगर और फैट की जानकारी देना अनिवार्य करने की गुहार लगाई गई है, ताकि लाखों लोगों को मधुमेह जैसी गंभीर बीमारी से बचाया जा सके। इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि कोर्ट एफ.ओ.पी.डब्ल्यू.एल. का कड़ाई से पालन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दे।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 27 अगस्त को होगी। इस पीठ में सीजेआई के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। ये याचिका "3एस एंड अवर हेल्थ सोसाइटी" नामक संस्था ने एडवोकेट राजीव शंकर द्विवेदी के माध्यम से दाखिल की है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जनहित याचिका में सभी तरह के डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के ऊपर डिटेल लेबल की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है और मांग की गई है कि पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल शुगर, नमक और सैचुरेटेड फैट की मात्रा को स्पष्ट रूप से उसके डब्बे पर इंगित किया जाय। याचिका में तर्क दिया गया है कि इस तरह की सूचना उपभोक्ताओं को पैकेज्ड खाद्य पदार्थ चुनने में सशक्त बनाएंगे। इससे लोगों में मधुमेह और अन्य गैर-संचारी रोगों के प्रसार को कम करने में मदद मिल सकेगी।

याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसी जानकारी डिब्बे के ऊपर होने से मोटापे, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी जटिलताओं और बीमारियों से जूझ रहे लोग सचेत हो जाएंगे और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

कालाडेरा में लोहा ढलाई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही है। जयपुर से एफ.एस.एल की टीम ने भी फैक्टरी में घटना स्थल से सैम्पल लिए हैं।

विधायक डॉ. शिखा मील बराला, चौमूं उपखण्ड अधिकारी दिलीप सिंह व पूर्व विधायक रामलाल शर्मा आदि ने चौमूं शहर के निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे घायलों से मिलकर हर संभव इलाज का आश्वासन दिया।

जानकारी के अनुसार, घायलों में श्यामलाल पुत्र प्रभुदयाल निवासी हाथनोदा, नानूराम पुत्र प्रभुदयाल निवासी हाथनोदा, सुरेश कुमार पुत्र नारायण लाल निवासी हाथनोदा थाना सामोद, चौथूराम पुत्र हरदेव निवासी खोराबिसल थाना मुरलीपुरा जयपुर शहर, अशोक चौधरी पुत्र फूलचंद निवासी बिहार राज्य, बबलू यादव पुत्र जयप्रकाश निवासी बिहार राज्य, विनोद पुत्र सुवालाल निवासी धानोता थाना अमरसर, मदन पुत्र राजेन्द्र कुशवाह निवासी धौलपुर, नेमीचंद पुत्र रोशन लाल कुशवाह निवासी धौलपुर, प्रमोद कुमार पुत्र द्वारिका निवासी बिहार राज्य, निखिल कुमार निवासी बिहार राज्य, बहादुर पुत्र देवनारायण निवासी नेपाल, प्रकाश चन्द दुसाद पुत्र भगवान सहाय निवासी नांगल भरडा थाना सामोद, ओमप्रकाश पुत्र रघुनाथ कुशवाह निवासी बिहार राज्य, निलेश कुमार पुत्र कमलेश सिंह कुशवाह निवासी बिहार राज्य तथा अजय शंकर, प्रियंका, चुनचुन, गरबरन शामिल हैं, जिनमें से सात घायलों का जयपुर के एस.एम.एस. अस्पताल में इलाज चल रहा है। बारह घायलों का चौमूं के निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। एक घायल को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है।

जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, जयपुर ग्रामीण एस.पी. शांतनु कुमार सिंह, चौमूं उपखण्ड अधिकारी दिलीप सिंह, जयपुर ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरि प्रसाद सोमानी, गोविन्दगढ़ डी.वाई.एस.पी. राजेश कुमार जांगिड़, तहसीलदार डॉ. विजयपाल तथा कालाडेरा थाना प्रभारी सहित, कई प्रशासनिक अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। कहा जा रहा है कि कालाडेरा रीको औद्योगिक क्षेत्र में अधिकांश फैक्टरियों में सुरक्षा उपकरणों की कमी है। जानकारी के अनुसार कालाडेरा रीको औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 300 इकाइयां स्थापित हैं, जिनमें से अधिकांश फैक्टरियों के पास तो फायर एन.ओ.सी. भी नहीं है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600